न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त जयपुर

अपील संख्या 178/2020 (जीसीएमएस नम्बर 2020/00187)

1. जनकी पत्नि स्व. हरफूल
2. सरदार सिंह पुत्र हरफूल
   समस्त जाति गुर्जर निवासी ग्राम सर तहसील नांगलराजावतान पूर्व तहसील दौसा जिला दौसा राज.।

–अपीलान्ट्स

बनाम

1. सरकार जरिये तहसीलदार तहसील दौसा जिला दौसा।
2. राजस्थार सरकार जरिये तहसीलदार तहसील नांगलराजावतान जिला दौसा।

–रेस्पोंडेन्ट्स

अपील विरूद्ध आदेश न्यायालय जिला कलक्टर दौसा दिनांक 15.02.2017 प्रकरण संख्या 76/2010 उनवानी सरकार बनाम हरफूल जो प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 14(4) भू आंवटन नियम 1970 में पारित किया है।

उपस्थित–

1. श्री अशोक कुमार जोशी, वकील अपीलान्ट
2. श्री चन्द्रशेखर बेनीवाल, राजकीय अधिवक्ता, रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 की ओर से

निर्णय

दिनांक – 8.10.2024

1. यह अपील राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 75 के अन्तर्गत जिला कलक्टर दौसा के निर्णय दिनांक 15.02.2017 के विरूद्ध प्रस्तुत हुई है।

2. प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष तहसीलदार दौसा ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 14 (4) भू आंवटन नियम 1970 के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया गया कि आंवटन सलाहकार समिति द्वारा दिनांक 31.05.1989 को ग्राम सर तहसील दौसा के आ0ख0नं0 502/516/8 रकबा 0.75 है0 भूमि का आंवटन श्री हरफूल पुत्र गंगाराम जाति गुर्जर निवासी सर तहसील दौसा को किया गया था, लेकिन श्री हरफूल पुत्र गंगाराम द्वारा आंवटन की शर्तों की पालना नहीं करने के कारण तहसीलदार द्वारा एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 14 (4) भू आंवटन नियम 1970 के तहत आंवटन निरस्त करने हेतु प्रस्तुत किया गया था। अधीनस्थ न्यायालय जिला कलक्टर दौसा ने अपीलाधीन निर्णय दिनांक 15.02.2017 द्वारा प्रार्थना पत्र 14 (4) स्वीकार किया जाकर आंवटन आदेश दिनांक 31.05.1989 को खारिज करने के आदेश पारित किये गये।

3. जिला कलेक्टर दौसा के निर्णय दिनांक 15.02.2017 के उक्त निर्णय से व्यथित होकर अपीलान्ट हरफूल पुत्र गंगाराम द्वारा यह अपील स्वीकार कर अपीलाधीन आदेश जिला कलेक्टर दौसा के निर्णय दिनांक 15.02.2017 निरस्त किये जाने की प्रार्थना की गयी है।

4. अपील प्रस्तुत होने पर रेस्पोंडेन्ट्स की तलबी की गई। अधीनस्थ न्यायालय का रेकार्ड तलब किया गया । उभयपक्ष के योग्य अधिवक्ताओं की बहस सुनी गई ।

5. अपीलान्ट के योग्य अधिवक्ता ने बहस के दौरान अपील मीमों में अंकित तथ्यों को दौहराते हुये मुख्य रूप से कथन किया कि अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष रेस्पोडेन्ट संख्या 1 द्वारा एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 14 (4) भू आंवटन नियम 1970 के तहत मृतक हरफूल पुत्र गंगाराम के विरूद्ध प्रस्तुत कर आंवटन दिनांक 31.05.1989 को निरस्त किये जाने का निवेदन किया, जबकि उक्त प्रार्थना पत्र पेश करने से

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त

पूर्व ही हरफूल पुत्र गंगाराम जो कि अपीलान्ट संख्या 1 का पति व अपीलांट संख्या 2 का पिता था कि मृत्यु हो चुकी थी। जिसको पक्षकार बनाये बिना किन्हीं ठोस आधारो के प्रार्थना पत्र पेश कर दिया। जिस पर योग्य अधीनस्थ न्यायालय द्वारा बिना कोई तामील करवाये व बिना कोई जांच किये अपीलाधीन आदेश पारित कर तहसीलदार द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र 14 (4) स्वीकार कर आंवटन आदेश दिनांक 31.05.1989 खारिज फरमा दिया। योग्य अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष तहसीलदार दौसा द्वारा मृत व्यक्ति के विरूद्ध प्रार्थना पत्र 14 (4) भू आंवटन नियम 1970 का पेश किया था, तथा योग्य अधीनस्थ न्यायालय द्वारा भी कोई तामील नही करवाई तथा बिना किसी तामील के व मृत व्यक्ति के विरूद्ध निर्णय पारित किया है, जो निरस्तनीय है। कानून में स्पष्ट प्रावधान है कि मृत व्यक्ति के विरूद्ध या पक्ष में किसी प्रकार का कोई निर्णय पारित नहीं किया जा सकता है। तथा यदि इस प्रकार का कोई निर्णय किया गया है तो वह अवैध व शून्य माना जाता है। चूंकि अपीलान्ट संख्या 1 का पति व अपीलान्ट संख्या 2 का पिता हरफूल का देहान्त 14 वर्ष पूर्व हो चुका था, जिसको पक्षकार बनाये बगैर तहसीलदार दौसा द्वारा प्रार्थना पत्र पेश किया है, जो किसी भी भांति पोषणीय नहीं था। फिर भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय पारित कर कानूनी त्रुटि की है। आंवटन सलाहकार समिति द्वारा विधिसम्मत कार्यवाही कर भूमि की उद्घोषणा जारी कर अपीलान्ट नम्बर 1 के पति व अपीलान्ट नम्बर 2 के पिता को भूमि आंवटित की थी तथा भूमि सुपुर्द की थी, जिस पर अपने जीवन काल में उनका कब्जा था तथा वर्तमान में अपीलान्टस का उक्त भूमि खसरा नम्बर 502/516/8 रकबा 0.75 हैक्टयर पर काबिज चले आ रहे है। फिर भी योग्य अधीनस्थ न्यायालय द्वारा बिना कोई जांच किये तथा बिना साक्ष्य सुनवाई का अवसर दिये अपीलाधीन निर्णय पारित किया है जो निरस्तनीय है। विवादित भूमि पर अपीलान्टस का कब्जा चला आ रहा है तथा मौके पर काबिज काश्त है, तथा आंवटन शर्तों की पूर्ण पालना की है। फिर भी योग्य अधीनस्थ न्यायालय द्वारा बिना कोई जांच किये अपीलाधीन निर्णय पारित किया है। तहसीलदार दौसा द्वारा जो प्रार्थना पत्र पेश किया था वह प्रार्थना पत्र ही गलत था, तथा उसके आधार पर योग्य अधीनस्थ न्यायालय द्वारा किया गया निर्णय भी शून्य है। ऐसी स्थिति में अपीलाधीन आदेश निरस्तनीय है। योग्य अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय की जानकारी अपीलान्टस को पूर्व में कदापि नहीं थी, क्योंकि अपीलान्टस को कोई नोटिस कभी भी प्राप्त नहीं हुये तथा ना ही कोई सूचना प्राप्त हुई थी। दिनांक 10.07.2017 को नकल प्राप्त होने पर अपीलाधीन निर्णय की जानकारी प्राप्त हुई। अतः प्रार्थना पत्र दफा 5 मियाद अधिनियम स्वीकार किया जाकर विलम्ब को कन्डोन किया जावे। अपीलान्ट संख्या 1 मृतक हरफूल की पत्नि है तथा अपीलान्ट संख्या 2 मृतक हरफूल का पुत्र है, जो कि मृतक के वास्तविक वारिस है, जिनको कोई भी कायम मुकाम के रूप में योग्य अधीनस्थ न्यायालय में तहसीलदार दौसा द्वारा नहीं बनवाया, तथा मृतक व्यक्ति के विरूद्ध निर्णय पारित किया है, चूंकि अपीलान्टस मृतक हरफूल के विधिक वारिस होने के कारण आवश्यक पक्षकार है तथा अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय से पूर्णतया पीडित है। ग्रस्ति पक्षकार होने के कारण अपीलाधीन निर्णय की अपील पेश करने के अधिकारी है। प्रभावित पक्षकार होने के कारण प्रार्थना पत्र 96 सी.पी.सी. स्वीकार कर अपील पेश करने के अनुमति प्रदान करे। अतः अपील अपीलान्टस प्रस्तुत कर निवेदन है कि अपील अपीलान्टस स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय दिनांक 15.02.2017 निरस्त फरमाया जावे।

6. राजकीय अधिवक्ता ने बहस के दौरान अपील का विरोध करते हुये मुख्य रूप से कथन किया कि अपीलाधीन आदेश अधीनस्थ न्यायालय जिला कलेक्टर दौसा ने पारित किया है, जो उचित एवं विधिसम्यक है। अतः अपील अपीलान्ट में कोई सार नहीं होने से खारिज की जावे।

7. हमने प्रकरण के अभिलेख को देखा। प्रकरण के तथ्यों पर विचार किया एवं उभयपक्ष के योग्य अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया गया। अपीलान्ट को

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जयपुर

अधीनस्थ न्यायालय में बिना पक्षकार बनाये ही निर्णय पारित किया गया है। जिसके कारण उसे अपीलाधीन निर्णय की जानकारी होना पूर्ण रूप से पुष्ट नहीं होता है। अतः माननीय उच्चतर न्यायालय द्वारा विलम्ब के प्रकरणों में नरमी का रूख अपनाते हुये गुणावगुण के आधार पर निर्णित करने बाबत पारित नजीरों के आलोक में प्रकरण में नरमी का रूख अपनाते हुये अपीलान्ट का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम स्वीकार किया जाता है। अपील पेश करने पर हुई देरी को क्षम्य किया जाता है। अपीलांट को अपीलाधीन निर्णय में पक्षकार नहीं बनाया है। अपीलांट अपीलाधीन निर्णय से प्रभावित पक्षकार है, इसलिये अपील पेश करने का अधिकारी है। अपीलांट का प्रार्थना पत्र 96 सी.पी.सी. स्वीकार कर अपील पेश करने की अनुमति प्रदान की जाती है। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि अप्रार्थी द्वारा आंवटन सलाहकार समिति के समक्ष भूमि आंवटन हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत करने पर उसकी जॉच पटवारी हल्का से कराई गई। पटवारी हल्का की रिपोर्ट के आधार पर आंवटी हरफूल पुत्र गंगाराम को आंवटन किया गया। किन्तु आंवटी हरफूल पुत्र गंगाराम द्वारा आंवटित भूमि की शर्तों की पालना नहीं की गई। तहसीलदार द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट जो अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में संलग्न है के अनुसार मौके पर आज तक भी भूमि पर काश्त नहीं की गई है तथा आंवटी के नाम अभी तक गैर खातेदारी ही दर्ज है। प्रकरण में आंवटन होने के लगभग 35 वर्ष तक खातेदारी अधिकार आंवटी द्वारा प्राप्त नहीं किये जाने तथा अभी तक गैर खातेदारी ही दर्ज होने से स्पष्ट होता है कि आंवटित भूमि का आंवटी हरफूल पुत्र गंगाराम द्वारा कोई उपयोग नहीं किया जा रहा और आंवटित भूमि की काश्त में कोई रूचि नहीं ली जा रही है। जिससे आंवटित भूमि के प्रयोजन ही समाप्त हो जाते है। अपीलार्थी द्वारा न्यायालय हाजा के समक्ष ऐसा कोई साक्ष्य सबूत, तथ्य या दस्तावेजात इत्यादि प्रस्तुत नहीं किया गया है जिससे अपीलार्थी द्वारा आंवटन की शर्तों की पालना की गई है। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय जिला कलेक्टर दौसा द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 15.02.2017 पारित करने में कोई त्रुटि प्रतीत नहीं होती है। अधीनस्थ न्यायालय जिला कलेक्टर दौसा द्वारा पारित निर्णय दिनांक 15.02.2017 यथावत रखा जाना उचित समझते हैं।

अतः आदेश है कि –अपील अपीलान्ट खारिज की जाकर अधीनस्थ न्यायालय जिला कलेक्टर दौसा द्वारा पारित निर्णय दिनांक 15.02.2017 यथावत रखा जाता है।

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जयपुर

(डॉ. प्रवीण कुमार)
अति. संभागीय आयुक्त,
जयपुर

निर्णय दिनांक 08.10.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जयपुर

अति. संभागीय आयुक्त,
जयपुर